न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–120/2013

CIS NO. TS- 523/2018

मोनीर मियां एवं अन्य...वादीगण
बनाम
नुरूल्लाह मियां एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
09.01.2023	वादीगण की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 09.08.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–03 वजीर मियाँ की मृत्यु हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं0–03 वजीर मियाँ के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे अपनी पत्नि मु0 सलीमुन नेशा तथा एक पुत्र मुस्ताक मियाँ को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी सं0–03 वजीर मियाँ का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें। जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगणों की ओर से पर्याप्त समय देने के बावजूद भी कोई प्रत्युत्तर दाखिल नही किया गया। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं0–03 वजीर मियाँ की मृत्यु हो गई है इसके समर्थन में वादीगण की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं0–03 का नाम कलमजद करें तथा मृतक के विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें तद्पश्चात वादीगण की ओर से प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 20.02.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	